न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 456/2018 (183/2017)
दायर दिनांक :– 13.09.2017

अनवान

श्रीमति मनभर देवी पत्नि रणजीत सिंह मीणा नि. बिजेठा तह. जहाजपुर

वादी..........

बनाम

1. श्रीमति प्रेम देवी पत्नि छीतर लाल मीणा नि. केसरपुरा तह. जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर

प्रतिवादीगण..............

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री ओम प्रकाश मुन्दडा, एडवोकेट वादी

:: निर्णय :: दिनांक 26.07.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम टीकड प. ह. टीकड तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 14/1 रकवा 06–15 बीघा, आ. न. 34 रकबा 01–19 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खाते दर्ज है। एवंम ग्राम टीकड प. ह. टीकड में ही आ. सं. 14/2 रकवा 08–14 बीघा भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में वादीया के खाते में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 दोनो उक्त भूमि के केता है वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भूमि कय किये जाने से पूर्व उक्त भूमि के मूल स्वामीयों के संयुक्त खाते में आराजी ख. सं. 14 रकबा 15–09 बीघा भूमि स्थित थी। इस भूमि का विभाजन किया गया जिसमे आ. सं. 14/1 का रकबा 8–15 बीघा वनाया गया व आराजी ख. सं. 34 रकबा 1–19 बीघा व आ. सं. 14/2 का रकवा 6–15 बीघा हिस्सा रहा था किन्तु राजस्व कर्मचारियो की भुल से आराजी सं. 14/2 का रकबा 8–14 बीघा कर दिया गया वर्तमान में वादीया आ. सं. 14/1 के 6–15 बीघा तथा इससे लगती हुई आराजी सं. 14/2 के 1–19 बीघा भुमि पर काबिज हो काश्त कर रही है। तथा प्रतिवादीया आ. सं. 14/2 के पुर्वी ऑर के 6–15 बीघा तथा आ. सं. 34 पर काविज हो काश्त कर ही हैं पक्षकारान को विकताओ ने कब्जा भी इसी अनुसार सम्भलाया था इस कारण आ. सं. 114/2 के 1–19 बीघा भु भाग जो आराजी सं. 14/1 से लगता हुआ हैं के लिए वादीया के खाते एवं कब्जे की भूमि न. राजस्व जमाबन्दी अनुसार 14/2 रकबा 8–14 बीघा राजस्व मानचित्र में दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है तथा प्रतिवादीया की भूमि वर्तमान आ. सं. 14/1 रकबा 6–15 बीघा आ.सं. 34 से लगता हुआ दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यासंगत है। तथा

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीया की भूमि वर्तमान आ. नं. 14/1 रकबा 6–15 बीघा आराजी सं. 34 से लगता हुआ दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादीया का कब्जा वर्तमान में राजस्व नक्शे में 14/1 के स्थान पर है एंव वादीया के खाते आराजी सं. 14/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं इसलिए वर्तमान कब्जे अनुसार आराजी ख. सं. 14/1 के स्थान पर आ. सं. 14/2 राजस्व नक्शे में दर्ज कर नक्शा शुद्व किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं वादीया ने अनेक बार प्रतिवादीया को राजस्व मानचित्र सही कराने हेतु कहा किन्तु प्रतिवादी टालमटोल करती रही एवं दिनांक 20.08.2017 को राजस्व मानचित्र शुद्व कराने से मना कर देने पर वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वर्तमान आराजी सं. 14/2 का 1–19 बीघा भू भाग जो वर्तमान आ. सं. 14/1 से लगता है वादीया के खाते एवं कब्जेनुसार 14/2 रकबा 8–14 बीघा भूमि एवं आ. सं. 14/1 को आराजी सं. 34 से लगती हुई राजस्व मानचित्र में दर्ज किये जाने की डिकी बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी सादर पारित कराना फरमावे। वादीया के वर्तमान कब्जेनुसार राजस्व मानचित्र में वादीया की आ. सं. 14/2 को आ. सं. 14/1 के स्थान पर दर्ज किये जाने की डिकी वादी विरूद्व प्रतिवादी पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उपस्थित हो ईकबाले जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तथा वाद पत्र डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। जिसकी नकल वकील वादी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी ने वाद पत्र की ताईद में खाता सं. 520, 376 नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस की नकल प्रदर्श 2 पेश की, जो शामिल पत्रावली है। तथा गवाह बयान में मनभर देवी पी डब्ल्यु 1 के बयान प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की वादी व प्रतिवादी सं. 1 दोनो उक्त भूमि के केता है वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भूमि कय किये जाने से पूर्व उक्त भूमि के मूल स्वामीयों के संयुक्त खाते में आराजी ख. सं. 14 रकबा 15–09 बीघा भूमि स्थित थी। इस भूमि का विभाजन किया गया जिसमे आ. सं. 14/1 का रकबा 8–15 बीघा बनाया गया व आराजी ख. सं. 34 रकबा 1–19 बीघा व आ. सं. 14/2 का रकबा 6–15 बीघा हिस्सा रहा था किन्तु राजस्व कर्मचारियो की भुल से आराजी सं. 14/2 का रकबा 8–14 बीघा कर दिया गया, वर्तमान में वादीया आ. सं. 14/1 के 6–15 बीघा तथा इससे लगती हुई आराजी सं. 14/2 के 1–19 बीघा भुमि पर काबिज हो काश्त कर रही है। तथा प्रतिवादीया आ. सं. 14/2 के पुर्वी और के 6–15 बीघा तथा आ. सं. 34 पर काबिज हो काश्त कर ही हैं पक्षकारान को विकताओ ने कब्जा भी इसी अनुसार सम्भलाया था इस कारण आ. सं. 114/2 के 1–19 बीघा भु भाग जो आराजी सं. 14/1 से लगता हुआ हैं के लिए वादीया के खाते एवं कब्जे की भूमि न. राजस्व जमाबन्दी अनुसार 14/2 रकबा 8–14 बीघा राजस्व मानचित्र में दर्ज किया जाना तथा प्रतिवादीया की भूमि वर्तमान आ. सं. 14/1 रकबा 6–15 बीघा आ.सं. 34 से लगता हुआ दर्ज किया जाना है। वादीया का कब्जा वर्तमान में राजस्व नक्शे में 14/1 के स्थान पर है एंव वादीया के खाते आराजी सं. 14/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। वर्तमान आराजी सं. 14/2 का 1–19 बीघा भू भाग जो वर्तमान आ. सं. 14/1 से लगता है वादीया के खाते एवं कब्जेनुसार 14/2 रकबा 8–14 बीघा भूमि एवं आ. सं. 14/1 को आराजी सं.

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

34 से लगती हुई राजस्व मानचित्र में दर्ज किये जाने की डिकी बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी सादर पारित कराना फरमावे। वादीया के वर्तमान कब्जेनुसार राजस्व मानचित्र में वादीया की आ. सं. 14/2 को आ. सं. 14/1 के स्थान पर दर्ज किये जाने की डिकी जारी कराना फरमावे।

मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादीया के खाते आराजी सं. 14/2 रकबा 8–14 बीघा एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाते आराजी सं. 14/1 रकबा 6–15 बीघा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। वादियां ने आराजी सं. 14/2 रकबा 8–14 बीघा विकेता जगदीश पिता हजारी मीणा नि. केशरपुरा से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 21.06.2006 को खरीदी थी। प्रतिवादिया सं. 1 ने आराजी सं 14/1 रकबा 6–15 बीघा, आ.न. 34 रकबा 1–19 बीघा भूमि विकेता बंशीलाल पिता हजारी मीणा नि. केसरपुरा से दिनांक 25.08.2014 को खरीदी थी। वर्तमान में वादिया मानचित्र अनुसार आराजी सं. 14/1 और 14/2 से लगते हुए आराजी खसरा सं. 14/2 के रकबे पर काबिज है, एवं प्रतिवादियां मानचित्र में 14/2 के शेष हिस्से एवं आराजी सं. 34 पर काबिज है। स्पष्ट तौर पर नक्शे में तरमीम वादियां एंव प्रतिवादियां के कब्जे अनुसार नहीं है। प्रतिवादियां भी कब्जे अनुसार नक्शे में तरमीम किये जाने पर सहमत है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 उक्त भुमि के रेकार्डेड खातेदार है। इसलिये मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि ग्राम टीकड प. ह. टीकड तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 14/1 रकबा 06–15 बीघा तथा आ. सं. 14/2 रकबा 08–14 बीघा भूमि की राजस्व नक्शे में स्थित तरमीम को विलोपित किया जाकर वादीया के वर्तमान कब्जेनुसार वर्तमान नक्शे में 14/1 के स्थान पर 14/2 और 14/2 के स्थान पर 14/1 की तरमीम इस प्रकार की जाए कि 14/1 का कुल रकबा 6–15 बीघा एवं 14/2 का कुल रकबा 8–14 बीघा राजस्व मानचित्र में दर्ज किया जावे। पर्चा डिकी मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक २६.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

श्रीमति मनभर देवी पत्नि रणजीत सिंह मीणा नि. बिजेठा तह. जहाजपुर

वादी..........

बनाम

1. श्रीमति प्रेम देवी पत्नि छीतर लाल मीणा नि. केसरपुरा तह. जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर

प्रतिवादीगण..............

दावा बाबत – 88, 89 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 456/2018 (183/2017)

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री ओमप्रकाश मुन्दडा का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम टीकड प. ह. टीकड तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 14/1 रकबा 06–15 बीघा तथा आ. सं. 14/2 रकबा 08–14 बीघा भूमि की राजस्व नक्शे में स्थित तरमीम को विलोपित किया जाकर वादीया के वर्तमान कब्जेनुसार वर्तमान नक्शे में 14/1 के स्थान पर 14/2 और 14/2 के स्थान पर 14/1 की तरमीम इस प्रकार की जाए कि 14/1 का कुल रकबा 6–15 बीघा एवं 14/2 का कुल रकबा 8–14 बीघा राजस्व मानचित्र में दर्ज किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख26.07.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner